

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—72/19 (2019/00189) वादपत्र

अनवान

1. गेहरीलाल आत्मज सालग गुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागीरथ आत्मज सालग गुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु आत्मज सालग गुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगा बेवा सालगगुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. दामा आत्मज भज्जा गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारुख मोहम्मद —
2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता वादीगण  
अधिवक्ता प्रतिवादीगण  
दिनांक 03.11.2020

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24.12.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डागड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 431/249 रकबा 1.975 है० भूमिमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का विभाजन कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 20.10.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम डागड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 431/249/2 रकबा 0.94 है० भूमि दामा पिता भज्जा गुर्जर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 431/249/3 रकबा 0.95 है० भूमि गेहरीलाल, भागीरथ, राजु, पिता सालग गंगा बेवा सालग गुजर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 431/249/1 रकबा 0.085 है० भूमि शामिल बंदस्तुतर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर (भीलवाड़ा)



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—72/19 (2019/00189) वादपत्र

**अनवान**

1. गेहरीलाल आत्मज सालग गुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागीरथ आत्मज सालग गुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु आत्मज सालग गुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगा बेवा सालगगुर्जर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. दामा आत्मज भज्जा गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


**प्रतीवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम डागड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 431/249/2 रकबा 0.94 है० भूमि दामा पिता भज्जा गुर्जर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 431/249/3 रकबा 0.95 है० भूमि गेहरीलाल, भागीरथ, राजु, पिता सालग गंगा बेवा सालग गुजर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 431/249/1 रकबा 0.085 है० भूमि शामिलती बदस्तुतर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.11.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



  
3/11/2020  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (जिला भीलवाड़ा)  
रायपुर (भीलवाड़ा)